मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषय :– राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की उन्नीसवीं बैठक, दिनांक 06.10.2012 का कार्यवाही विवरण।

———

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004/2010 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की उन्नीसवीं बैठक दिनांक 06.10.2012 को अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :–

1. <u>एजेण्डा क्रमांक–1</u> उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत एक ही कम्पनी की एक से अधिक इकाईयों को नवीन इकाई अथवा विस्तारित इकाई मान्य किये जाने विषयक।

समिति द्वारा बैठक दिनांक 03.01.2009 में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करने पर यह पाया गया कि एक ही कंपनी/फर्म की एक से अधिक इकाईयों को नवीन अथवा विस्तारित मान्य करने के संबंध में योजना 2004 अन्तर्गत समुचित प्रावधान नहीं है तथा योजना 2010 अन्तर्गत इस संबंध में प्रावधान निम्नानुसार है :–

"किसी फर्म/कम्पनी द्वारा उसकी पूर्व स्थापित इकाई के वर्तमान परिसर से अन्यत्र स्थान पर समान उत्पाद की नवीन इकाई स्थापित की जाती है तो उसे नवीन इकाई के समान सुविधा प्राप्त होगी, किन्तु पूर्व स्थापित इकाई में पिछले 3 वर्षो के औसत उत्पादन से कम उत्पादन होने पर नवीन स्थापित इकाई को प्रदाय की गई सहायता राशि की वसूली, उस दिनांक से की जायेगी, जिस दिनांक से पूर्व स्थापित इकाई के औसत उत्पादन में कमी हुई हो।"

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूँकि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 अन्तर्गत एक ही कंपनी की एक से अधिक इकाईयों को समान परिसर में स्थापित होने पर नवीन/विस्तारित मान्य किये जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, अतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व के साथ प्रदेश में समान परिसर अथवा अन्यत्र स्थापित होने वाली इकाई को, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2010 की कण्डिका 6.12 में वर्णित शर्तों के साथ नवीन इकाई मान्य किया जा सकेगा।

2. **<u>एजेण्डा क्रमांक–2</u> उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 अन्तर्गत मेसर्स जी.ई.आई. पॉवर लि., मण्डीदीप जिला रायसेन का वर्ष 2009–10 का पुनरीक्षित क्लेम प्रकरण।**

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में इकाईयों की सुविधा बढ़े हुए पूंजी निवेश के आधार पर 50 से 75 प्रतिशत किये जाने हेतु निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिया गया है :–

<u>राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय</u>

''ऐसी इकाईयाँ जिनका उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश पिछड़ा 'स'/पिछड़ा 'ब'/पिछड़ा 'अ'/अग्रणी जिले में क्रमशः रू. 10.00/15.00 /20.00/ 25.00 करोड़ से कम रहता है, को वर्तमान में 50 प्रतिशत सुविधा प्राप्त होती है जो कि आगे भी निरंतर रहती है। उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् (3 वर्षों में) ऐसी इकाईयाँ जिनका मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 10.00/15.00/20.00/25.00 करोड़ अथवा उससे अधिक हो जाता है, के सन्दर्भ में सुविधा 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किये जाने हेतु विचार करने पर समिति द्वारा यह पाया गया कि योजनान्तर्गत उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों के अन्दर किये गये पूंजी निवेश को सुविधा की सीमा बढ़ाये जाने हेतु जोड़े जाने का प्रावधान नियमों में पूर्व से ही है। शीर्ष स्तरीय समिति के द्वारा भी मेगा प्रॉजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज प्रस्तावित स्थिति में प्रदान किया जाता है जिसमें इकाईयों द्वारा प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश को पूर्ण करने के लिए उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों का समय प्रदान किया जाता है।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि, ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनके द्वारा प्रथमतः अग्रणी/पिछड़ा 'अ'/पिछड़ा 'ब'/पिछड़ा 'स' जिले में क्रमशः रू. 25.00/20.00/15.00/10.00 करोड़ से कम स्थायी पूंजी निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ किया जाता है उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् वे अपने पूंजी निवेश में प्रस्तावित एवं पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप वृद्धि करती है तो उन्हें बढ़े हुए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निवेश संवर्धन सहायता 50 से 75 प्रतिशत किया जाना उपयुक्त है। उपरोक्तानुसार सुविधा में संशोधन के लिए वर्तमान में प्रचलित योजना में निहित प्रावधान समुचित एवं पर्याप्त हैं तथा इनमें किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी इकाईयों को बढ़ी हुई सुविधा उस दिनांक से प्रदान की जाएगी जिस दिनांक को इकाई द्वारा जिले की श्रेणी अनुसार (अग्रणी जिले के लिए रू. 25.00 करोड़/पिछड़ा 'अ' जिले के लिए रू. 20.00 करोड़/ पिछड़ा 'ब' जिले के लिए रू. 15.00 करोड़/ पिछड़ा 'स' जिले के लिए रू. 10.00 करोड़) न्यूनतम

पूंजी निवेश की सीमा से अधिक पूंजी निवेश मान्य किये जाने के पश्चात् समिति द्वारा सुविधा में वृद्धि किये जाने पर निर्णय लिया जा सकेगा।''

समिति द्वारा लिये गये उपरोक्तानुसार नीतिगत निर्णय के प्रकाश में, मेसर्स जी.ई. आई. पॉवर लि., मण्डीदीप जिला रायसेन के स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि होने के आधार पर, इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण अन्तर्गत, सुविधा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किये जाने पर विचार किया गया।

समिति को यह अवगत कराया गया कि बैठक दिनांक 25.02.2012 में इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 हेतु, उत्पादन दिनांक तक किये गये मान्य योग्य पूंजी निवेश (रू. 858.52 लाख) के आधार पर 50 प्रतिशत सुविधा (96,45,451.00) स्वीकृत की जाकर सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। इकाई की मूल परियोजना के अनुसार इसका प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश रू. 6060.40 लाख था। इकाई द्वारा रू. 858.52 लाख के निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ करते हुए परियोजना को पूर्ण करने के लिये निम्नानुसार अतिरिक्त पूंजी निवेश किया गया है, जिसकी पुष्टि सीए प्रमाण पत्र एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप द्वारा पत्र क्र. 1617 दि. 23.07.2012 से की गई अनुशंसा से होती है। इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक एवं उसके पश्चात् तीन वर्षों में किये गये पूंजी निवेश की स्थिति इस प्रकार है :–

उत्पादन दिनांक 28.03.2009 की स्थिति में स्थायी पूंजी निवेश	उत्पादन दिनांक से 31.03.2010 तक किया गया अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश	दिनांक 31.03.2010 की स्थिति में स्थायी पूंजी निवेश	उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश (दि. 26.03.2012 की स्थिति में)	उत्पादन दिनांक एवं उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों में किया गया कुल स्थायी पूंजी निवेश (3+4)
1	2	3	4	5
858.52 लाख	516.65 लाख	1375.17 लाख	5066.29 लाख	6441.46 लाख

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत समिति द्वारा यह पाया गया कि चूँकि इकाई का स्थायी पूंजी निवेश वर्ष 2009–10 में ही बढ़कर रू. 13.75 करोड़ हो गया था जो कि दिनांक 26.03.2012 की स्थिति में और बढ़कर रू. 64.41 करोड़ हो चुका है। अतः इकाई को वर्ष 2009–10 से ही, 'स' श्रेणी में होने के आधार पर एवं स्थायी पूंजी निवेश रू. 10.00 करोड़ से अधिक होने के कारण, बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिये गये निर्णय के अनुसार निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत होगी।

इकाई को वर्ष 2009–10 में 50 प्रतिशत आधार पर प्राप्त हो चुकी सहायता एवं 75 प्रतिशत आधार पर शेष सहायता की स्थिति इस प्रकार है :–

वर्ष 2009–10 में चुकाया गया कर (क्रय कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर)	50 प्रतिशत आधार पर निवेश संवर्धन सहायता (प्राप्त हो चुकी सहायता)	75 प्रतिशत आधार पर निवेश संवर्धन सहायता	शेष 25 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता राशि
1,92,90,903.00	96,45,451.00	1,44,68,177.00	48,22,726.00

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2012 में लिये गये नीतिगत निर्णय एवं उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, समिति द्वारा विचारोपरांत, इकाई का कुल स्थायी पूंजी निवेश रू. 6441.46 लाख मान्य करते हुए, वर्ष 2009–10 हेतु इकाई के पक्ष में निवेश संवर्धन सहायता राशि 50 प्रतिशत (रू. 96,45,451.00) के स्थान पर 75 प्रतिशत (रू. 1,44,68,176.00) स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। चूँकि इकाई को 50 प्रतिशत आधार पर सहायता राशि रू. 96,45,451.00 प्रदान की जा चुकी है अतः इकाई को शेष 25 प्रतिशत सहायता राशि अर्थात रू. 48,22,725.00 और प्राप्त हो सकेगी।

3. <u>एजेण्डा क्रमांक–3</u> : मेसर्स एस.व्ही.आई.एल. माइन्स लिमिटेड, जिला कटनी –

इकाई के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई पर वाणिज्यिक कर की अनियमितताओं के संबंध में विभाग द्वारा छापा मारा गया है तथा छानबीन जारी है। इकाई का वाणिज्यिक कर पंजीयन भी निरस्त किया जा चुका है। समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई की कर देयता के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने तथा वाणिज्यिक कर पंजीयन बहाल होने तक प्रकरण विलंबित रखा जाये।

4. एजेण्डा क्रमांक–4 : मेसर्स शोभन इंटरप्राइजेस प्रा.लि., जिला शाजापुर –

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया किया कि विचाराधीन इकाई एक सॉल्वेंट एक्स्ट्रेक्शन प्लांट है तथा वाणिज्यिक कर अधिनियम के अनुरूप टीडीएस का लाभ प्राप्त कर रही है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा टीडीएस को नोशनल आईटीआर मान्य किये जाने के कारण ऐसी इकाईयों को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता सुविधा दिये जाने के संबंध में Soyabean Processor's Association of India (SOPA) द्वारा दिनांक 22.09.2012 को

अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समिति द्वारा विचारोपरांत टीडीएस/नोशनल आईटीआर के संबंध में उपयुक्त निर्णय होने तक प्रकरण विलंबित रखने का निर्णय लिया गया।

5. एजेण्डा क्रमांक–5 : मेसर्स एस.डी. बंसल आयरन एण्ड स्टील (प्रा.) लिमिटेड, मण्डीदीप, जिला रायसेन –

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1240.29 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 07.04.2008 से 06.04.2018 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 1,62,75,449.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू.1,22,06,586.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

6. एजेण्डा क्रमांक–6 : मेसर्स विनायक पॉलीटेक्स प्रा.लि., मनेरी, मंडला –

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1155.80 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 06.05.2008 से 05.05.2018 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 1,25,55,957.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 94,16,967.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

7. एजेण्डा क्रमांक–7 : मेसर्स सफल फूड प्रॉडक्ट प्राईवेट लिमिटेड, जिला छिन्दवाड़ा –

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1074.33 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता का 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दि. 31.07.2009 से 30.07.2019 तक मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 40,15,393.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 30,11,545.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

8. एजेण्डा क्रमांक–8 : मेसर्स क्वालिटी वोवेन सेक्स प्रा0लि0, रीवा –

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1056.66 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 26.03.2008 से 25.03.2018 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों में किया गया अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश रू. 750.96 लाख जोड़ने के पश्चात् कुल स्थायी पूंजी निवेश (1056.66 + 750.96) रू. 1807.62 लाख मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 1,34,93,491.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 1,01,20,118.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

9. एजेण्डा क्रमांक–9 : मेसर्स प्रॉक्टर एण्ड गैम्बल होम प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, मण्डीदीप, जिला रायसेन –

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2693.64 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता का 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 17.06.2009 से 16.06.2019 तक मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 3,99,96,104.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 2,99,97,078.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

10. एजेण्डा क्रमांक–10 : मेसर्स पॉलिमर पैकेजिंग, पीथमपुर, जिला धार –

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1589.62 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 05.03.2009 से 04.03.2019 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में कुल चुकाये गये कर रू. 1,26,86,763.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 95,15,072.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

11. एजेण्डा क्रमांक–11 : मेसर्स करलॉन लिमिटेड, मालनपुर, जिला भिण्ड –

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रकरण में उपायुक्त, वाणिज्यिक कर से प्रतिवेदन अप्राप्त है अतः समिति द्वारा विचारोपरांत प्रकरण विलंबित रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

12. एजेण्डा क्रमांक–12 : मेसर्स किसान इरिगेशन लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार –

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय वर्ष का द्वितीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 742.58 लाख तथा पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 24.11.2007 से 23.11.2012 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 1,20,25,939.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 60,12,969.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

13. एजेण्डा क्रमांक–13 : मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड अलॉयज प्रा.लि., पीथमपुर, जिला धार–

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह पंचम वर्ष का चतुर्थ क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 322.00 लाख तथा पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.03.2006 से 03.03.2011 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 1,02,86,539.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 51,43,269.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

14. एजेण्डा क्रमांक–14 : मेसर्स जे.पी. रीवा प्लांट, रीवा –

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वर्ष 2007–08 हेतु इकाई से तृतीय वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा यह अभिमत प्रस्तुत किया गया कि इकाई की वर्ष 2009–10 हेतु वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर की देयताएँ हैं अतः बकाया राशि का निराकरण होने तक प्रकरण लंबित रखा जाये। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर समिति द्वारा यह पाया गया कि इकाई की वर्ष 2009–10 हेतु वैट की देयता रू. 25,05,292.00 तथा प्रवेश कर की देयता 74,47,005.00 इस तरह कुल देयता रू. 99,52,297.00 है जबकि इकाई के पक्ष में वर्तमान में विचाराधीन क्लेम रू. 7,41,38,015.00 सहायता राशि के लिये है।

प्रकरण के सन्दर्भ में समिति द्वारा यह विचार किया गया कि योजना की कण्डिका 8.17 अनुसार इकाई की वैट की देयता इस विचाराधीन क्लेम के विरूद्ध समायोजित हो सकेगी तथा उद्योग संचालनालय द्वारा इकाई के पक्ष में जारी प्रवेश कर मुक्ति प्रकरण पत्र क्र. 05/एफए(7)/06/39 दिनांक 03.05.2010 के आधार पर इकाई की प्रवेश कर की देयता भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह यह क्लेम स्वीकृत किये जाने से इकाई की, वाणिज्यिक कर विभाग की देयताएँ समाप्त होंगी जो कि अंततः इकाई एवं शासन दोनों के हित में है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत तथ्यों के दृष्टिगत समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 हेतु , प्रस्तुत संक्षेपिका के अनुसार कुल चुकाये गये कर रू. 9,88,50,687.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 7,41,38,015.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत करते हुए, इस स्वीकृत सहायता राशि में से वाणिज्यिक कर विभाग की देयता रू. 99,52,297.00 कम करने के पश्चात् शेष सहायता राशि रू. 6,41,85,718.00 वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई के पक्ष में जारी प्रवेश कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर, आगामी बैठक से पूर्व इकाई की प्रवेश कर देयता समाप्त होने की स्थिति से अवगत कराया जावेगा।

देयताएँ समाप्त होने की पुष्टि होने के पश्चात् इकाई के पक्ष में रोकी गई शेष सहायता राशि रू. 99,52,297.00 निर्गमित की जा सकेगी।

15. एजेण्डा क्रमांक–15 : मेसर्स जे.पी. रीवा प्लांट, रीवा –

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से चतुर्थ वित्तीय वर्ष के लिये प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा यह अभिमत प्रस्तुत किया गया कि इकाई की वर्ष 2009–10 हेतु वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर की देयताएँ हैं अतः बकाया राशि का निराकरण होने तक प्रकरण लंबित रखा जाये। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर समिति द्वारा यह पाया गया कि इकाई की वर्ष 2009–10 हेतु वैट की देयता रू. 25,05,292.00 तथा प्रवेश कर की देयता 74,47,005.00 इस तरह कुल देयता रू. 99,52,297.00 है। इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 हेतु क्लेम प्रकरण में लिये गये निर्णय अनुसार इकाई की वर्ष 2009–10 की देयताओं के समतुल्य राशि उपरोक्त कार्यविवरण बिन्दु 14 के अनुसार रोकी जा चुकी है अतः इकाई के वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण लंबित रखे जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार तथ्यों के दृष्टिगत समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2008–09 में इकाई द्वारा कुल चुकाये गये कर रू. 9,04,50,575.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 6,78,37,931.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

16. एजेण्डा क्रमांक–16 : मेसर्स जे.पी. बेला (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.), रीवा–

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वर्ष 2007–08 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय वित्तीय वर्ष के लिये प्रथम क्लेम है। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा यह अभिमत प्रस्तुत किया गया कि इकाई की वर्ष 2009–10 हेतु वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर की देयताएँ हैं अतः बकाया राशि का निराकरण होने तक प्रकरण लंबित रखा जाये। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर समिति द्वारा यह पाया गया कि इकाई की वर्ष 2009–10 हेतु वैट की देयता रू. 39,38,505.00 तथा प्रवेश कर की देयता रू. 47,24,251.00 इस तरह कुल देयता रू. 86,62,756.00 है जबकि इकाई के पक्ष में वर्तमान में विचाराधीन क्लेम रू. 2,74,59,010.00 सहायता राशि के लिये है।

प्रकरण के सन्दर्भ में समिति द्वारा यह विचार किया गया कि योजना की कण्डिका 8.17 अनुसार इकाई की वैट की देयता इस विचाराधीन क्लेम के विरूद्ध समायोजित हो सकेगी तथा उद्योग संचालनालय द्वारा इकाई के पक्ष में जारी प्रवेश कर मुक्ति प्रकरण पत्र क्र. 04/एफए(7)/06/38 दिनांक 03.05.2010 के आधार पर इकाई की प्रवेश कर की देयता भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह यह क्लेम स्वीकृत किये जाने से इकाई की, वाणिज्यिक कर विभाग की देयताएँ समाप्त होंगी जो कि अंततः इकाई एवं शासन दोनों के हित में है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत तथ्यों के दृष्टिगत समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 हेतु , प्रस्तुत संक्षेपिका के अनुसार कुल चुकाये गये कर रू. 3,66,12,012.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 2,74,59,010.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत करते हुए इकाई की वाणिज्यिक कर विभाग को देयता रू. 86,62,756.00 कम करने के पश्चात् शेष सहायता राशि रू. 1,87,96,254.00 वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई के पक्ष में जारी प्रवेश कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर, आगामी बैठक से पूर्व इकाई की प्रवेश कर देयता की स्थिति से अवगत कराया जावेगा।

देयता समाप्त होने की पुष्टि होने के पश्चात् इकाई के पक्ष में रोकी गई शेष सहायता राशि रू. 86,62,756.00 निर्गमित की जा सकेगी।

17. एजेण्डा क्रमांक–17 : मेसर्स जे.पी. बेला प्लांट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लि.), रीवा –

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से चतुर्थ वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा यह अभिमत प्रस्तुत किया गया कि इकाई की वर्ष 2009–10 हेतु वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर की देयताएँ हैं, अतः बकाया राशि का निराकरण होने तक प्रकरण लंबित रखा जाये। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर समिति द्वारा यह पाया गया कि इकाई की वर्ष 2009–10 हेतु वैट की देयता रू. 39,38,505.00 तथा प्रवेश कर की देयता रू. 47,24,251.00 इस तरह कुल देयता रू. 86,62,756.00 है। इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 हेतु क्लेम प्रकरण में लिये गये निर्णय अनुसार इकाई की वर्ष 2009–10 की देयताओं के समतुल्य राशि उपरोक्त कार्यविवरण बिन्दु 16 अनुसार रोकी जा चुकी है अतः इकाई के वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण लंबित रखे जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार तथ्यों के दृष्टिगत समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2008–09 में इकाई द्वारा कुल चुकाये गये कर रू. 3,48,10,157.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 2,61,07,617.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

18. एजेण्डा क्रमांक–18 : मेसर्स देवास मेटल सेक्शन्स लिमिटेड, देवास –

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2007–08 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय वर्ष का द्वितीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 518.29 लाख तथा पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 26.03.2006 से 25.03.2011 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2007–08 में कुल चुकाये गये कर रू. 26,83,168.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 13,41,584.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

19. एजेण्डा क्रमांक–19 : मेसर्स चिरचिंद हाइड्रो पॉवर लिमिटेड, जिला–रायसेन –

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1082.10 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता का 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 12.04.2011 से 11.04.2021 तक 10 वर्ष की अवधि मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में कुल चुकाये गये कर रू. 82,75,814.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 62,06,860.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

20. एजेण्डा क्रमांक–20 : मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट प्रा. लि., जिला धार –

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय वर्ष का प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1223.63 लाख तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता का 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.03.2009 से 29.03.2019 तक 10 वर्ष की अवधि मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 52,17,841.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 39,13,841.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

21. एजेण्डा क्रमांक–21 : मेसर्स रमणीक पावर एंड अलॉयज प्रा.लि., जिला–बालाघाट –

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2944.11 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2019 तक 10 वर्ष की अवधि मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में कुल चुकाये गये कर रू. 40,55,079.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 30,41,309.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

सभी सदस्यों को धन्यवाद् ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अरूण कुमार भट्ट)
प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीएसआईडीसी एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

(पी.के. दाश)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की उन्नीसवीं बैठक दिनांक 06.10.2012 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

———————————

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री पी.के. दाश	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति
2.	श्री राजेश चतुर्वेदी	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, सदस्य
3	श्री अरूण कुमार भट्ट	प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्रायफेक/एमपी.एस.आई. डी.सी, सदस्य सचिव
4	श्री जितेन्द्र सिंह	अवर सचिव, वित्त विभाग
5	श्री अमित राठौर	वाणिज्यिक कर आयुक्त
अन्य उपस्थित अधिकारीगण		
1	श्री जे.एन. व्यास	प्रबंध संचालक, एकेव्हीएन, भोपाल
2	श्री ए.के. मिश्रा	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर
3	श्री सी.एस. धुर्वे	मुख्य महाप्रबंधक, एम.पी. ट्रायफेक